न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 52/2025(GCMS 2025/93)

(RTI No. 212773546327712)

श्री पवन कुमार पुत्र श्री राजाराम शर्मा निवासी 2 जीडीएम, गोविन्दसर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर – 94688–81794)

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

08.10.2025

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री पवन कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.05.2025 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि श्री पवन कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.05.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

> वर्ष 2013 प्रशासन गांवो के संग अभियान में ग्राम पंचायत गोविन्दसर से चक 4 जीडएम की तरफ जाने वाले रास्ते के लिए किसानों द्वारा 3 मुरब्बा (पु.न. 21/17, 21/18, 21/25, 21/26 और 21/33) में रास्ते के लिए लिखित सहमति, तत्कालीन कैंप प्रभारी (श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़) को दी गयी थी, श्रीमान्जी से निवेदन है कि लिखित सहमति की प्रति प्रदान करने की कृपया करें।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक राजस्व/सूकाअ/2025/4762 दिनांक 24.07.2025 से अवगत करवाया है कि उनके द्वारा अपने पत्रांक सूकाअ/2025/4003 दिनांक 26.06.2025 से अपीलार्थी को जवाब दिया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने उक्त पत्रांक 4003 दिनांक 26.06.2025 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा आवेदन पत्र में जिस अभिलेख की नकल चाही है, उसका पूर्ण विवरण दर्ज नहीं किया है। पत्रावली की सीगा, पत्रावली की संख्या, पत्रावली का अनवान्, दिनांक निर्णय, अदालत का नाम आदि कुछ भी दर्ज नहीं है। जिसके अभाव में सूचना दी जानी संभव नहीं है। अतः उक्त प्रार्थना पूर्ण जानकारी के अभाव में खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:34:21 IST
Reason: SelfAttested

Manju

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 52/2025
(GCMS No. 2025/293)
(RTI No. : 212773546327712)

लोक **सूचना** अधिकारी **एवं उपखण्ड** अधिकारी, **सूरतगढ़** ने अपने **पत्रांक अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़** द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं **फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए** लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है अपीलार्थी वांछित अभिलेख से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाओं की जानकारी उपलब्ध करवा देवें तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार सूचना 07 दिवस में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी** एवं उप**खण्ड अधिकारी, सूरतगढ़** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:34:21 IST
Reason: SelfAttested

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर